354

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर म. प्र.

प्रकरण क्रमांक :— II / निग. / भिण्ड / भू.रा. / 2018 / 2255

आर. एवं डेंग
आज दि. 5-4-18 को
प्रारंभिक तर्क हेतु
9-4-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 5-4-18

जय नारायण शर्मा पुत्र श्री किशोरीलाल शर्मा निवासी ग्राम बड़ागर तहसील गोहद जिला भिण्ड मध्य प्रदेश —आवेदक

बनाम

1— संगीता बेवा पत्नी पूजाराम

2— अंकिता नाबालिग

3— मोहिनी नाबालिग

4— प्रवेश नाबालिग समस्त पुत्रियाँ स्व श्री पूजाराम सरपरस्त माँ संगीता बेवा पूजाराम समस्त निवासीगण ग्राम बड़ागर तहसील गोहद जिला भिण्ड मध्य प्रदेश —अनावेदिकागण

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी गोहद जिला भिण्ड द्वारा प्रकरण क्रमांक 52/2017–18/अपील मे पारित आदेश दिनांक 23/03/2018 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत है।

महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है :—

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :—

1— यह कि, ग्राम बड़ागर तहसील गोहद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 125 रकवा 0.24 हैक्टर, सर्वे क्रमांक 130 रकवा 0.39 हैक्टर, सर्वे क्रमांक

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - दो/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2018/2255

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री आर.एस. सेंगर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५-५-१९ को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	